

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 250/2012/कोटा.

सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, वाणिज्यिक कर, कोटा. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स यश एन्टरप्राइजेज, रामपुरा बाजार, कोटा. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा, .....अपीलार्थी की ओर से.

उप-राजकीय अभिभाषक

श्री डी.कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/05/2016

### निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वृत्त-'ए', कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 59/आरएसटी/2010-11/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.09.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिये धारा 30, 26 व 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 16.07.2010 में आरोपित क्रय कर रूपये 3,071/- व ब्याज 3,750/- को समाप्त करते हुए अपील स्वीकार की है, को अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2005-06 का नियमित कर निर्धारण आदेश अधिनियम के अधीन दिनांक 18.02.2008 को पारित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने ऑडिट आक्षेप का उल्लेख करते हुए कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिये अधिनियम कि धारा 30, 26 व 58 में दिनांक 16.07.2010 को इस आधार पर कि व्यवहारी ने 75,285/- की खरीद राशि पर क्रय कर चुकाया है जबकि उनको 1,77,666/- की खरीद राशि पर क्रय कर चुकाया जाना था। इस आधार पर क्रय कर रूपये 3,071/- व ब्याज रूपये 1,750/- आरोपित किया गया। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित क्रय कर व ब्याज को समाप्त करते हुए अपील स्वीकार की।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण होना बताया तथा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया। बहस के दौरान अपील संख्या 1948–1952 / 2007 / कोटा में राजस्थान कर बोर्ड, की एकलपीठ द्वारा दिनांक 11.11.2009 को पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिया गया है कि “प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु वर्ष 1992 से 1997 तक की अवधि में राज्य में क्रय किये गये कागज पर धारा 5सी के तहत तीन प्रतिशत कर अदा किया है तथा कर राजकोष में जमा कराया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में अभ्यास पुस्तिका के निर्माण के पश्चात उसकी सुरक्षा एवं लुकिंग के लिए उस पर पेपर कवर (टाईटल कवर) चढ़ाया है जो उसके द्वारा राज्य के बाहर से आयात किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने पेपर कवर (टाईटल कवर) को तीन प्रतिशत से कर योग्य मानते हुए मूल कर निर्धारण में इस पर कर आरोपित करने से रह जाना मानकर धारा 30 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार कर एवं ब्याज का आरोपण किया है। अधिसूचना दिनांक 01.04.1991 के अनुसार अभ्यास पुस्तिका कर मुक्त है। अब प्रश्न है कि क्या उसके ऊपर लगाया गया पेपर कवर (टाईटल कवर) कर योग्य है अथवा नहीं। सामान्य रूप से अभ्यास पुस्तिका के ऊपर लगाया गया पेपर कवर (टाईटल कवर) लिखने योग्य पेपर नहीं है और ना ही इसका उपयोग लिखने में किया जाता है, केवल मात्र अभ्यास पुस्तिका की सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि अन्दर के पन्ने फटे नहीं, इसलिए ऐसे कवर को पेपर मानकर उस पर तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उभ्यास पुस्तिका का विक्रय करमुक्त किया गया है इसलिए भी उसके साथ उपयोग किये गये पेपर कवर (टाईटल कवर) पर कर आरोपित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इन्हीं तथ्यों का समावेश करते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप उपायुक्त, अपील्स के आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत पांचों अपीलें अस्वीकार की जाती है।” प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

८८५

लगातार.....3

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का परिशीलन किया गया।
6. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के क्रम में अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का अध्ययन आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :—

**Sec. 11. Levy of purchase tax.-**

- (1) Every dealer who in the course of his business purchases any goods other than exempted goods, in the circumstances in which no tax under sections 4 and 12 is payable on the sale price of such goods, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the same rate at which it would have been leviable on the sale price of such goods under sections 4 and 12.
- (2) Where any dealer has purchased any goods, otherwise than under the provisions of section 10, without paying any tax or after paying tax at concessional or reduced rate of tax on the strength of any declaration furnished by him under the Act, the purchase price of such goods shall be included in his taxable turnover and such dealer shall be liable to pay tax with interest at the same rate which would have been leviable on the sale price of such goods under sections 4 and 12, except in a case where such dealer satisfies the assessing authority that the said goods have been utilised for the purpose mentioned in the declaration form.
- (3) Where tax is leviable under sub-section (1) at the time of purchase of any goods, no tax under section 4 shall be leviable at the time of sale of such goods.
- (4) The dealer shall be entitled to claim set-off of the tax paid by him under sub-section (2) on the purchase price of the goods, against the tax payable by him on the sale of such goods.

7. धारा 11 में करारोपण के लिये यह आवश्यक है कि राज्य के भीतर क्रय का संव्यवहार प्रमाणित किया जाना चाहिये। कर निर्धारण अधिकारी ने क्रय कर आरोपण से पूर्व राज्य के भीतर खरीद को प्रमाणित नहीं किया है। राज्य के भीतर किस विक्रेता से माल खरीदा है, क्या माल खरीदा है, माल का हस्तान्तरण विक्रेता से क्रेता के मध्य किस प्रकार घटित हुआ है; इन समस्त मूलभूल संघटकों को कर निर्धारण अधिकारी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।



लगातार.....4

8. उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये माल पर क्रय कर का आरोपण किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के बाहर से आयात किये गये माल पर क्रय कर आरोपणीय नहीं होता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा वह पुष्टि किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी  
11.05.2016

( मनोहर पुरी )  
सदस्य